Dr. Shyam Shankar
Associate Professor
Deptt. of Political Science
Raja Singh College, Siwan

PDF Notes for BA (Hons.) Part-II

व्यवस्थापिका का तुलनात्मक अध्ययन: भारत और चीन

सरकार के तीन प्रमुख अंगो में व्यवस्थापिका पहला महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य है- कानून का निर्माण करना। भारत और चीन विश्व के विशालतम जनसंख्या वाला देश है। विश्व राजनीति मे चीन की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है। चीनी सभ्यता दुनिया की पुरानी सभ्यताओं मे गिनी जाती है। चीन एशिया का सबसे बड़ा राज्य है तथा 1949 की समाजवादी क्रान्ति के बाद उसकी गिनती विश्व के शक्तिशाली देशों में की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य होने का भी गौरव इसे हासिल है। चीन मे सोवियत संघ की तरह साम्यवादी व्यवस्था की गई। लेकिन चीन के प्रसिद्ध नेता माओ ने मार्क्सवाद को चीनी राष्ट्रवाद से मिलाकर एक अनूठा प्रयोग किया।

चीनी व्यवस्थापिका का नाम National People's Congress है जबकि भारतीय व्यवस्थापिका का नाम संसद अथवा Parliament है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अर्थात National People's Congress में लगभग 3000 सदस्य होते हैं जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के अलावा प्रान्तों, स्वशासी क्षेत्रों, केन्द्रीय सरकार के तहत नगरपालिकाओं तथा सैन्य बलों के निर्वाचित प्रतिनिधिगण भी होते हैं जबकि भारत में संसद के दो हाउस अर्थात लोकसभा और राज्य सभा है। लोकसभा मे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि तथा राज्यसभा में जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित एवं राष्ट्रपति द्वारा कुछ मनोनीत प्रतिनिधि होते है। चीन में एक ही सदन होते है चूंकि इसकी संख्या बड़ी है इसलिए इसके कार्य स्थायी समिति करती है। इसका कार्यकाल कांग्रेस के कार्यकाल से जुड़ा है जो कि भारत के लोकसभा की तरह 5 वर्ष ही है। लेकिन स्थायी समिति चुनाव के बाद भी तब तक कार्य…

Scanned with CamScanner

[illegible]

करती रहती है जब तक कि नये कांग्रेस का गठन न हो जाए। स्थायी समिति ही कांग्रेस को सत्र बुलाती है वर्ष में कम से कम एक बार सत्र अवश्य ही बुलाई जाती है। विशेष स्थिति में विशेष स्थायी समिति के 1/5 सदस्यों की मांग पर सत्र भी बुलाई जाती है। जबकि भारतीय संसद का अधिवेशन बुलाने के सम्बन्ध में यह प्रावधान है कि दो अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अन्तर न हो लेकिन व्यवहार में इसके तीन सत्र बुलाये जाते हैं फरवरी में पहला जुलाई में दूसरा जबकि नवम्बर या दिसम्बर में तीसरा।

चीनी व्यवस्थापिका अर्थात राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को संविधान का संशोधन करना तथा उसके क्रियान्वयन पर भी अमल करना है। दीवानी, फौजदारी तथा अन्य अपराधों को रोकने के लिए कानून बनाना और उसमें आवश्यक संशोधन करना। विभिन्न नियुक्तियों का अनुमोदन करना, राज्य के बजट पास करना, स्थायी समिति के गलत निर्णयों को निरस्त करना, प्रान्तों, स्वशासी क्षेत्रों तथा केन्द्र सरकार के अधीन नगरपालिकाओं की स्थापना की स्वीकृति तथा युद्ध एवं शान्ति सम्बन्धी मामलों में निर्णय लेना आदि कार्यों को करने की शक्ति प्राप्त है।

फिर भी साम्यवादी प्रणाली में सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में होती है। संसद भी प्रायः उन्हीं कार्यों को करती है जो पार्टी के शिखर पर बैठे नेता चाहते हैं। संसद सरकार के कार्यों को वैधानिकता का जामा पहना देती है। इसीलिए इसे रबर की मुहर की संज्ञा भी दी जाती है। हम चाहें तो चीन की जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस की समीक्षा करें तो उसकी स्थिति भी इसी प्रकार की है। भारत में संसदीय व्यवस्था होने के कारण प्रधानमंत्री चूंकि अपने दल के नेता होते हैं इसलिए संसद में भी उनकी स्थिति प्रभावशाली होती है लेकिन चीनी संसद की तरह हम उन्हें रबर की मुहर नहीं कह सकते। भारतीय संसद सरकार के कार्यों पर अंकुश लगाने एवं नियंत्रण करने में प्रभावी भूमिका निभाती है।

Scanned with CamScanner